नं० 368 सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

[illegible] प्रार्थना पत्रावली पेश हुई (वकील वादिया) [illegible] प्रार्थना दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते तलबी [illegible] डी.एस.डी.ओ. के समक्ष तलबी पेश [illegible] हो। बाद तलबी पत्रावली डिक्शन [illegible] कोर्ट हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

नोट प्रेस
प्रनम देवी

[illegible] आज यह पत्रावली वादी वकील के प्रार्थना पर तलब होकर पेश हुई प्रार्थी प्रार्थना में निवेदन किया है कि हमारे पड़ोसियों में आपसी वाणीनामा हुआ है। वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं वाद नोट प्रेस में खारिज कर दिया जावे। हमने प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के वकील को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण का वाद पत्र नोट प्रेस करने पर नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दफ्तर को बस्ता हो। वाद प्रार्थी दाखिल खारिज हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukul Singh
Date: 2023.01.27 17:09:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नीमराना (राज०)

आरोजा मुतनाजा से सम्बाधित किया जावेगा।

प्रनम देवी